न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:– 12 / 14 दायर दिनांक 25.08.2014

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. अमरा पुत्र माधो जाति रेवारी निवासी टगरिया ढ़ाणी तहसील किशनगंज जिला बारां
2. मुरारी पुत्र सूरजमल जाति मीना निवासी गोरला तहसील किशनगंज जिला बारां राज.

– प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र रामा जाति बैरवा निवासी टगरिया ढ़ाणी तहसील किशनगंज जिला बारां (मृतक)
2. बनवारी पुत्र भंवरलाल जाति बैरवा निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां राज.
3. रामस्वरूप पुत्र भंवरलाल जाति बैरवा निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां राज.
4. राकेश बाई पुत्री भंवरलाल जाति बैरवा निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां राज.
5. ममता बाई पुत्री भंवरलाल जाति बैरवा निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां राज.
6. नटी बाई बेवा भंवरलाल जाति बैरवा निवासी बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां राज.
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां – अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. **श्री सतीश शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी।**

1. **श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीक्रम 1**
   श्री घनश्याम गर्ग, अभिभाषक अप्रार्थीक्रम 2, 3
   श्री एस.के.राणा, अभिभाषक अप्रार्थीक्रम 4, 5 व 6

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू. आवंटन नियम

निर्णय **दिनांक 29.03.2022**

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू.–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर [illegible] उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:20 IST
Reason: SelfAttested

वाके ग्राम टगरिया ढ़ाणी पटवार हल्का असनावर तहसील किशनगंज में आराजी खसरा संख्या 4/1 रकबा 7 बीघा 7 विस्वा, खसरा संख्या 8/2 रकबा 15 बीघा अवस्थित है जिसे प्रार्थना पत्र में आगे चलकर विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का अर्सा 40 वर्ष से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा ही उक्त आराजी को हॉक जोतकर काश्त योग्य बनाया था तथा प्रार्थीगण उक्त आराजी पर फसल काश्त कर अपने परिवार का पालन–पोषण करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की उक्त आराजी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बिना जॉच पड़ताल किये मौके पर खाली भूमि नहीं होने के बाबजूद भी अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ता 6 के पिता भंवरलाल द्वारा पटवारी हल्का से मिली भगत कर दिनांक 26.12.1975 को विधि विरूद्ध एवं गैरकानूनी तरीके से अपने नाम आवंटन करवा लिया जबकि आवंटन के पूर्व से ही उक्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण को उक्त आवंटन बाबत् किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई न ही मौके से प्रार्थीगण को बेदखल किया गया मौके पर भूमि खाली नहीं होने से उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आवंटन समिति का कोरम भी पूर्ण नहीं था। अप्रार्थीगण ने गैर कानूनी तरीके से अपूर्ण कोरम होने के बाबजूद आवंटन किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण भूमिहीन कृषक है। जिनके पास उक्त भूमि के अवाला अन्य कोई पालन–पोषण का सहारा नहीं है। एवं आवंटि अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ता 6 द्वारा आवटन के पश्चात् आज दिनांक तक आवंटित आराजी पर काश्त नहीं की है इसलिए भी आवंटन निरस्तनीय है। अप्रार्थीगण को उक्त आवंटन की जानकारी नहीं थी लेकिन दिनांक 26.06.2014 को अप्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी पर जबरन कब्जा काश्त करने की कोशिश की तत्पश्चात् नकल आवंटन व अन्य नकलें प्राप्त कर प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश हैं।

अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने पर देरी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.06.2014 को तत्पश्चात् नकल प्राप्त करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारणों से हम सहमत हैं। अतः प्रस्तुत अपील में डिले को माफ करते हुए अवधि मध्य मानी जाकर अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

अप्रार्थी क्रम 2 ता 6 अधिवक्ता ने लिखित जबाब प्रस्तुत कर कहा कि चरण क्रम 1 जिस प्रकार लिखी है गलत है अस्वीकार है। भंवरलाल पुत्र पिरथा को सन् 1975 में खसरा नम्बर 139/8 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 4/1 की रकबा 7.07 बीघा आवंटन हुई थी, वक्त आवंटन पूरा कौरम था तथा गैरखातेदारी नियमानुसार ही प्रदान की गई थी। वर्तमान में भंवरलाल [illegible] अप्रार्थी क्रम 2 ता 6 जायज वारिसान एवं कायम मुकामान एवं खातेदार कृषक है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। चरण क्रम 2 प्रार्थना पत्र गलत व अस्वीकार है। आवंटनशुदा आराजी पर अप्रार्थी क्रम 2 ता 6 का ही कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:20 IST
Reason: SelfAttested

काश्त है तथा आई.सी.आई.सी.आई. बैक से लोन भी लिया हुआ है। चरण क्रम 3 जिस प्रकार से लिखी है, गलत है, अस्वीकार है। आवंटन नियमानुसार हुआ है, आराजी सिवायक थी तथा भंवरलाल पुत्र पिरथा आवंटन पूर्व से काश्त करता आ रहा था। चरण क्रम 4 प्रार्थना पत्र गलत अस्वीकार है। चरण क्रम 5 प्रार्थना पत्र जिस प्रकार लिखा है गलत व अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा 2 अलग–अलग आवंटन की कार्यवारियां एक ही प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत की दी है, भंवरलाल पुत्र रामा व भंवरलाल पुत्र पिरथा के वारिसान के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तुत की गई है दोनों ही भंवरलाल पृथक–पृथक है, प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। चरण क्रम 6 प्रार्थना पत्र गलत व अस्वीकार है कार्यवाही बैरून मियाद है। चरण क्रम 7 प्रार्थना पत्र कानूनी है। चरण क्रम 8 प्रार्थना पत्र कानूनी है जबाब देना आवश्यक नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा यदि कभी आवंटन से पहले कब्जा भी रहा हो तो उसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज या सबूत पत्रावली में उपलब्ध नहीं है तथा अतिक्रमित आराजी को अनओकोपाईड लैण्ड मानकर आवंटन किया जा सकता है। आवंटन विधि अनुसार पूर्णकोरम द्वारा किया गया है कार्यवाही निरस्तनीय है। खातेदारी प्रदान किये जाने के बाद कार्यवाही अन्तर्गत 14(4) भू आवंटन नियम की कार्यवाही आवंटन निरस्त कराने के लिए नहीं की जा सकती है। यदि कोई वैधानिक हक हकूक प्रार्थीगण का बनता है तो सक्षम न्यायालय में खातेदारी हकूको का वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी भूमिहीन नहीं है, अप्रार्थी (आवंटी) द्वारा तथ्य छिपाकर, छल–कपट पूर्वक, आवंटन करवाया है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिजनों का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि ग्राम टगरियाढाणी तहसील किशनगंज में अप्रार्थी को कृषि भूमि खसरा सं. नम्बर संख्या 4/1 रकबा 7 बीघा 7 विस्वा, खसरा संख्या 8/2 रकबा 15 बीघा आराजी नियमानुसार भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.02.1975 को अलोट हुई है। अप्रार्थीगण का इस आराजी पर अलोटमेन्ट के पूर्व से ही कब्जा काश्त था। जिसका वदस्तूर अलोटमेन्ट के पूर्व से व अलोटमेन्ट के समय से इस आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में यह आराजी अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है। प्रार्थी का इस जमीन पर कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा इस कारण भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी ने इस आराजी को कड़ी व कठोर मेहनत कर काबिल काश्त बनाया है। प्रार्थी ने जो अपील की है वह मनगढ़त, मिथ्या तथ्यों पर आधारित है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी अपने खाते की उक्त आराजी पर नियमानुसार काबिज काश्त है। प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियम विरुद्ध व विधि [illegible] से खारिज होने योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को [illegible] पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने कहा कि अप्रार्थी (आवंटी) द्वारा तथ्य छिपाकर, [illegible] कपट पूर्वक, आवंटन करवाया है। आवंटी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:20 IST
Reason: SelfAttested

आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है। विवादित भूमि पर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिजनों का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। प्रकरण में प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण पेश नहीं किया। जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है व अप्रार्थी को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध साबित होता हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 14.12.1975 को अप्रार्थीगण के पिता भंवरलाल पुत्र पिरथा निवासी टगरिया ढाणी तहसील किशनगंज को ग्राम टगरिया ढाणी की आराजी संख्या 4/1 रकबा 7 बीघा 7 विस्बा, खसरा संख्या 8/2 रकबा 15 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:20 IST
Reason: SelfAttested